

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 10/2011 एलआर एकट

GCMS No. 2011/00042

1. सीतादेवी बेवा } बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी चरकड़ा तहसील  
2. मेघराज पुत्र } नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये परोकारराज
2. अमरूराम पुत्र रेखाराम उर्फ रेवन्तराम जाति ब्राह्मण साकिन चरखड़ा त. नोखा
3. अध्योध्या देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण साकिन भगतसिंह कॉलोनी नोखा।
4. गुडडी देवी पत्नी ताराचन्द जाति जाट साकिन सारुण्डा त. नोखा जिला बीकानेर।

— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: अभिभाषक अपीलांट  
रेस्पोंडेंट संख्या 1

जयचन्द सारस्वत  
राजकीय अभिभाषक



निर्णय

दिनांक 10.02.2026

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार, नोखा के आदेश दिनांक 20.10.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि -

1- वादग्रस्त भूमि ग्राम चरकड़ा तहसील नोखा के खसरा नंबर 1230, 1272, 1507, 1508, 2042/1334, 2289/1228, की कुल 14.89 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा ने उक्त वादगत भूमि का इंतकाल संख्या 738 दिनांक 20.10.2010 वैयनामें के आधार पर रेस्पोंडेंट संख्या 3 एवं 4 के पक्ष में दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा के उक्त इंतकाल संख्या 738 दिनांक 20.10.2010 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी वहस में कथन किया है वादग्रस्त भूमि को लेकर अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 के मध्य विवाद न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर में चल रहा है। रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने उक्त वादगत भूमि को जरिये रजिस्टर्ड

विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोजेन्ट संख्या 3 एवं 4 को विक्रय कर दी। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के खिलाफ न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में कन्टेन्ट आफ कोर्ट की कार्यवाही जैरकार है। अपीलांट तहसीलदार नोखा को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 16.09.2006 को पेश करके इसकी जानकारी देते हुए क्रेतागण के हक में इंतकाल दर्ज नकरने का निवेदन किया था। इसके बाद कई बार इंतकाल दर्ज नहीं करने का निवेदन करने के बाद भी अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर गौर न करके रेस्पोजेन्ट संख्या 3 एवं 4 के हक में उक्त वादगत भूमि का इंतकाल दर्ज कर दिया। जब किसी भूमि को लेकर कोई अपील या निगरानी जैरकार है तो निचली अदालत को उसी भूमि बाबत इंतकाल की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। अदालत मातहत ने इंतकाल दर्ज करने से पूर्व पुरी प्रक्रिया की पालना नहीं की है न तो मौके के कब्जा काश्ता की जांच की और ना ही रिकॉर्ड को देखा मनमाने तरीके से इंतकाल दर्जकर दियाजी हर प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन इंतकाल संख्या 738 निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाने की कृपा करे।

3- विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार नोखा ने उक्त इंतकाल बैयनामें के आधार पर दर्ज किया है। उक्त इंतकाल संख्या 738 दिनांक 20.10.2010 रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन बैयनामा को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज इंतकाल को निरस्त नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार नोखा ने उक्त इंतकाल संख्या 738 नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए दर्ज किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर इंतकाल संख्या 738 दिनांक 20.10.2010 यथावत रखा जावें।

4- हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा-5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। उक्त इंतकाल संख्या 738 दिनांक 20.10.2010 रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन बैयनामा को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज इंतकाल को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं होता है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम अपीलाधीन इंतकाल संख्या 738 दिनांक 20.10.2010 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोखा का अपीलाधीन इंतकाल संख्या 738 दिनांक 20.10.2010 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विश्राम/मीना)  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर